[2022] 2 एस. सी. आर. 591

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनाम

मंजू अरोड़ा और ए. एन. आर.

(सिविल अपील सं. 2009 की 7027-7028) जनवरी 03,2022

[आर**.** सुभाष रेड्डी और ऋषिकेश रॉय**,** जे**.** जे**.]**

सेवा कानून-पदोन्नति की अस्वीकृति-यदि सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना (ए. सी. पी.) के तहत लाभों का हकदार कर्मचारी-उत्तरदाता-कर्मचारी ने व्यक्तिगत आधार पर प्रस्तावित पदोन्नति से इनकार कर दिया-हालांकि, ए. सी. पी. योजना के तहत लाभ उन्हें दिए गए थे, लेकिन बाद में वापस ले लिए गए-उत्तरदाताओं को उनके पहले के वेतनमान पर वापस कर दिया गया-ए. सी. पी. लाभ की वापसी को चुनौती दी गई-न्यायाधिकरण ने कहा कि वे ए. सी. पी. योजना के संदर्भ में उन्नत वेतनमान के लाभों के हकदार नहीं थे-खंड पीठ ने ए. सी. पी. योजना के तहत उन्नयन की बहाली के लिए निर्देश जारी किया-अपील पर कहाःयदि नियमित पदोन्नति की पेशकश की जाती है, लेकिन वित्तीय उन्नयन का हकदार बनने से पहले कर्मचारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो वह केवल इसलिए वित्तीय उन्नयन का हकदार नहीं होगा क्योंकि उसे ठहराव का सामना करना पड़ा है-ऐसा इसलिए है क्योंकि, यह पदोन्नति के अवसरों की कमी का मामला नहीं है, बल्कि एक कर्मचारी जो अपने व्यक्तिगत कारणों से प्रस्तावित पदोन्नति को खोने का विकल्प चुनता है-कर्मचारियों को राहत देते समय उच्च न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण पहलू की उचित सराहना नहीं की गई थी-जिन कर्मचारियों ने नियमित पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, वे ओ. एम. डी. डी. के तहत ए. सी. पी. योजना के वित्तीय उन्नयन लाभों से वंचित हैं।9.8.99 – हालाँकि, यह सी. ए. Nos.7150-7151/2009 में दो उत्तरदाताओं पर लागू नहीं होगा क्योंकि उन्हें नियमित पदोन्नति नहीं दी गई थी, बल्कि सशर्त पदोन्नति की पेशकश की गई थी-पदोन्नति से उनका इनकार उन्हें ए. सी. पी. योजना-अनुमोदन और खंडन के सिद्धांत के तहत लाभों से वंचित नहीं करेगा।

2009 के **C.A.Nos.7027-7028** को अनुमति देते हुए और **2009** के **C. A. Nos.7150-7151** को खारिज करते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** केंद्र सरकार के नागरिक कर्मचारियों के लिए आश्वस्त कैरियर प्रगति की पेशकश करने वाले ओ**.** एम**.** दिनांक **9.8.1999** का उद्देश्य वास्तविक ए**.** की समस्या से निपटने के लिए एक "सुरक्षा जाल" के रूप में था।

पर्याप्त पदोन्नति के अवसरों की कमी के कारण कर्मचारियों को ठहराव और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।ए**.** सी**.** पी**.** योजना सरकार द्वारा पाँचवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर उचित संशोधन के साथ शुरू की गई थी।इस योजना के तहत **12** साल की नियमित सेवा के बाद और **12** साल की नियमित सेवा के बाद पहले वित्तीय उन्नयन की तारीख से वित्तीय उन्नयन करने का निर्णय लिया गया**,** बशर्ते कि निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाए।ए**.** सी**.** पी**.** योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ केवल तभी उपलब्ध होगा जब किसी कर्मचारी द्वारा निर्धारित अंतराल**, 12** वर्ष और **24** वर्ष के दौरान नियमित पदोन्नति का लाभ नहीं उठाया जा सके।जबकि शर्त सं। **5. 1** इस आशय से स्पष्ट है कि खंड पीठ ने अनावश्यक रूप से उन कर्मचारियों के पक्ष में ठहरने के लिए शर्त संख्या **10** का उल्लेख किया है जिन्होंने उन्हें दी गई पदोन्नति को अस्वीकार कर दिया है।न्यायालय की राय थी कि संबंधित कर्मचारी एक वित्तीय उन्नयन के हकदार हैं**,** भले ही वे पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दें**,** क्योंकि इस तरह की पदोन्नति की अस्वीकृति केवल उनके दूसरे उन्नयन को प्रभावित करेगी। इस तरह के निष्कर्ष के साथ**,** उत्तरदाताओं को एसीपी योजना के तहत राहत का हकदार ठहराया गया था**,** हालांकि यह कर्मचारी को दी गई पदोन्नति से इनकार करने का मामला था।ए**.** सी**.** पी**.** योजना को पढ़ने से पता चलता है कि किसी कर्मचारी को वित्तीय उन्नयन तभी प्राप्त होगा जब उसे क्रमशः **12** और **24** वर्षों के निर्धारित अंतराल पर कोई नियमित पदोन्नति नहीं मिली हो।पूरे सेवा जीवन में**,** एक कर्मचारी वित्तीय उन्नयन का हकदार है यदि संबंधित कर्मचारी को किसी भी नियमित पदोन्नति के लाभ के बिना एक ही पद पर ठहराव का सामना करना पड़ता है।उत्तरदाताओं को कई मौकों पर उच्च श्रेणी में पदोन्नति की पेशकश की गई थी**,** लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया और मौजूदा वेतनमान में बने रहने का फैसला किया।ओ**.** एम**.** दिनांक **9.8.1999** के उद्देश्य को बाद में ओ**.** एम**.** दिनांक **18.7.2001** द्वारा स्पष्ट किया गया था जिसमें यह विशेष रूप से प्रदान किया गया था कि एक कर्मचारी जिसे ए**.** सी**.** पी**.** लाभ देने और नियमित पदोन्नति से पहले

नियमित रिक्ति आधारित पदोन्नति की पेशकश की गई थी, वह ए. सी. पी. लाभों के अनुदान के लिए अयोग्य हो जाता है। दिनांकित **18.7.2001** की स्पष्टीकरणात्मक अधिसूचना के बिना भी, **O. M.** दिनांकित **9.8.1999** के खंड **5.1** का एक सादा पाठ यह स्पष्ट करता है कि एक कर्मचारी जिसने **A** का विकल्प चुना है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

593

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनाममंजू अरोड़ा और ए. एन. आर.

मौजूदा श्रेणी में रहते हुए, पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करके, ए. सी. पी. लाभों के अधिकारों को खो देता है और ऐसे कर्मचारी को, इनकार करने के कारण, आवश्यक प्रतिबंध अवधि समाप्त होने के बाद ही नियमित पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है।**5. 1** की शर्त में स्पष्ट शब्दों के बावजूद, विवादित फैसले में ओ. एम. दिनांकित **9.8.1999** का उद्देश्य छूट गया था और अदालत ने अनावश्यक रूप से ओ. एम. की शर्त **10** में उन कर्मचारियों के पक्ष में शब्दों को जोड़ा, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत कारणों से पदोन्नति से इनकार कर दिया है।**[**पैरा **10,11,13-15] [596-F-H; 598-B-H; 599-A-C]**

1.2 यदि नियमित पदोन्नति की पेशकश की जाती है, लेकिन वित्तीय उन्नयन का हकदार बनने से पहले कर्मचारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो वह केवल इसलिए वित्तीय उन्नयन का हकदार नहीं होगा क्योंकि उसे ठहराव का सामना करना पड़ा है।ऐसा इसलिए है क्योंकि, यह प्रचार के अवसरों की कमी का मामला नहीं है, बल्कि एक कर्मचारी है जो अपने व्यक्तिगत कारणों से प्रस्तावित पदोन्नति को छोड़ने का विकल्प चुनती है।हालाँकि, उच्च न्यायालय द्वारा कर्मचारियों को राहत देते समय इस महत्वपूर्ण पहलू की उचित रूप से सराहना नहीं की गई।यह भी देखा जा सकता है कि जब कोई कर्मचारी प्रस्तावित पदोन्नति से इनकार करता है, तो उच्च पद को संभालने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं जो प्रशासनिक कठिनाइयों को जन्म देती हैं क्योंकि संबंधित कर्मचारी अक्सर अपने पद पर बने रहने के लिए पदोन्नति से इनकार कर देता है।जिन कर्मचारियों ने नियमित पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, वे ओ. एम. दिनांक **9.8.1999** के तहत परिकल्पित वित्तीय उन्नयन लाभों के हकदार नहीं हैं।"अनुमोदन और खंडन" का स्कॉटिश सिद्धांत इस मामले की परिस्थितियों की ओर आकर्षित है।इसलिए संबंधित कर्मचारियों को एक साथ अनुमोदन और खंडन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।यह सी. ए. **Nos.7027-28/2009** में उत्तरदाताओं के लिए तदनुसार घोषित किया गया है।**[**पारस **16-18] [599-D-G; 600-B-C]**

ग

डी.

ई.

च

लिसेन्डेन बनाम सीएवी बॉश लिमिटेड **[1940]** ए. सी. **412-**संदर्भित

को।

जी.

1.3 हालाँकि**,** उपरोक्त सी**.** ए**. Nos.7150-7151/2009** में दो प्रत्यर्थी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे क्योंकि उन्हें नियमित पदोन्नति नहीं दी गई थी**,** बल्कि कार्यवाहक आधार पर सशर्त पदोन्नति की पेशकश की गई थी।यह नहीं कहा जा सकता है कि इन दोनों कर्मचारियों ने विकल्पों और विकल्पों के बीच एक विकल्प का प्रयोग किया था।

एच.

क.

उपरोक्त सिद्धांत लागू नहीं होगा और कार्यवाहक पदोन्नति को स्वीकार करने से उनके इनकार को उनके खिलाफ नहीं ठहराया जा सकता है।पदोन्नति से इनकार करने से दोनों कर्मचारी एसीपी योजना के तहत लाभ से वंचित नहीं होंगे।इसे तदनुसार घोषित किया जाता है।चूंकि उत्तरदाता इस बीच सेवानिवृत्ति की आयु को प्राप्त कर चुके हैं**,** इसलिए इस आदेश के तहत परिणामी राहत आज से तीन महीने के भीतर दो योग्य कर्मचारियों **(**यदि नहीं दी गई है**)** को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।**[**पारस **19,20] [600-**सी**-**ई**]**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2009 की सिविल अपील सं. 7027-7028।

2003 के डब्ल्यू. पी. (सी) Nos.7227 और 7283 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 21.11.2007 के निर्णय और आदेश से।

ग

सह

2009 की सिविल अपील Nos.7150-7151।

सुश्री मीरा पटेल, भुवन मिश्रा, आयुष पुरी, अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

डी.

डॉ. आई. बी. गौर, राजीव मांगलिक, पीयूष शर्मा, ए. पी. धमीजा, सुश्री तान्या शर्मा, सारद कुमार सिंघानिया, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ई.

ऋषिकेश रॉय**,** जे।

1. दोनों मामलों में अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील सुश्री मीरा पटेल को सुना।2009 की सिविल अपील संख्या 7027-7028 में उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व विद्वान वकील श्री राजीव मांगलिक द्वारा किया जाता है।2009 की सिविल अपील संख्या 7150-7151 में, संबंधित उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व विद्वान वकील श्री पीयूष शर्मा और श्री ए. पी. धमीजा द्वारा किया जाता है।2. इसमें उत्तरदाता कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ओ. एम. दिनांक 9.8.1999 के तहत केंद्र सरकार के नागरिक कर्मचारियों के लिए आश्वस्त कैरियर प्रगति योजना (संक्षिप्त "ए. सी. पी. योजना" के लिए) के लाभ का दावा कर रहे हैं।ए. सी. पी. योजना उन कर्मचारियों के लिए वेतन के अगले उच्च ग्रेड में वित्तीय उन्नयन प्रदान करती है जिन्हें 12 साल की सेवा के बाद पदोन्नति नहीं मिल सकी।24 साल की सेवा के बाद दूसरा उन्नयन भी इसी तरह स्वीकार्य है।

च

जी.

एच.

595

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनाममंजू अरोड़ा और ए. एन. आर. [ऋषिकेश रॉय, जे।] ए.

क.

3. सुमन लता भाटिया और मंजू अरोड़ा जिन्हें वरिष्ठ अनुवादक (हिंदी) के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्हें नियमित रूप से अनुवाद अधिकारी (हिंदी) के उच्च पद पर पदोन्नति की पेशकश की गई थी।लेकिन व्यक्तिगत कारणों से, उन्होंने प्रस्तावित पदोन्नति को अस्वीकार कर दिया।हालांकि, एसीपी योजना के तहत लाभ उत्तरदाताओं को 15.11.1999 पर दिए गए थे, लेकिन जब यह पाया गया कि उन्हें गलत तरीके से दिया गया था, तो उन्हें क्रमशः सुमन लता भाटिया और मंजू अरोड़ा के लिए 4.9.2002 और 10.10.2002 के आदेशों द्वारा वापस ले लिया गया था।निकासी आदेश दिनांक 18.7.2001 के स्पष्टीकरण ओ. एम. को भेजा गया, जिसने रिक्तियों के आधार पर पदोन्नति से इनकार करने वालों के लिए ए. सी. पी. योजना के तहत वित्तीय उन्नयन को अस्वीकार कर दिया।उक्त आदेश में यह विशेष रूप से परिलक्षित होता है कि कर्मचारी (प्रतिवादी) ने कई मौकों पर पदोन्नति से इनकार कर दिया है, इसलिए उसे स्थिर नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उसने अपनी इच्छा से वरिष्ठ अनुवादक (हिंदी) के ग्रेड में बने रहने का विकल्प चुना है।तदनुसार, कारण दर्शाओ नोटिस की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए और उसे अस्वीकार करते हुए, एसीपी लाभ वापस ले लिया गया और प्रतिवादी को उसके पहले के वेतनमान पर वापस कर दिया गया।अन्य कर्मचारी के लिए भी इसी तरह के कदम उठाए गए।

ग

डी.

4. दो प्रतिवादियों और एक अन्य के लिए ए. सी. पी. लाभ वापस लेने को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ (संक्षेप में "न्यायाधिकरण") के समक्ष क्रमशः ओ. ए. सं. 2673/2002 (सुमन लता भाटिया), ओ. ए. सं. 2674/2002 (वीणा अरोड़ा) और ओ. ए. सं. 3021/2002 (मंजू अरोड़ा) में चुनौती दी गई थी।

ई.

5. अनुरूप आदेश (28.8.2003) में, न्यायाधिकरण ने दोनों ओ. एम. (9.8.1999 और 18.7.2001) को सूचित किया और कहा कि ए. सी. पी. योजना उन कर्मचारियों को राहत प्रदान करने के लिए है जो लंबे समय से एक ही पद पर ठहराव का सामना कर रहे हैं।हालांकि, स्पष्टीकरणात्मक संचार के साथ-साथ योजना के उद्देश्य और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मूल आवेदकों ने नियमित पदोन्नति से इनकार कर दिया था, उन्हें एसीपी योजना के संदर्भ में उन्नत वेतनमान से वंचित कर दिया गया था।न्यायाधिकरण ने राय दी कि नियमित पदोन्नति स्वीकार करने से इनकार करने पर, कर्मचारी को स्थिर नहीं माना जा सकता है क्योंकि उसने अपनी इच्छा के अनुसार मौजूदा श्रेणी में बने रहने का विकल्प चुना है।नतीजतन, तीन आवेदकों को एसीपी लाभ वापस लेने का नियोक्ता का निर्णय यह घोषणा करने के क्रम में पाया गया कि वे एसीपी योजना के संदर्भ में उन्नत वेतनमान के लाभों के हकदार नहीं हैं।हालाँकि, वेतन उन्नयन को रद्द करने के कारण अंतर वेतन की प्रस्तावित वसूली को इस अवलोकन के साथ रोक दिया गया था कि उन्नत वेतनमान को उनकी ओर से किसी भी गलत निरूपण के बिना अनुमति दी गई थी।

च

जी.

एच.

596

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 2 एस सी आर।

6. ए. सी. पी. लाभों के लिए मूल आवेदकों को अयोग्य घोषित करने वाले न्यायाधिकरण के उपरोक्त निर्णय को क्रमशः डब्ल्यू. पी. (सी) सं. 7227/2003 (मंजू अरोड़ा), डब्ल्यू. पी. में चुनौती दी गई थी। (सी) No.7283/2003 (सुमन लता) और दोनों मामलों को समान विचार के लिए लिया गया था।7. डिवीजन बेंच ने यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि यदि किसी विशेष कर्मचारी ने प्रस्तावित पदोन्नति को अस्वीकार कर दिया है, तो पदोन्नति की अस्वीकृति केवल उनके दूसरे उन्नयन को प्रभावित करेगी।यह निष्कर्ष निकाला गया कि कर्मचारियों को पहले उन्नयन का लाभ दिया गया था, जिसे वापस नहीं लिया जा सकता था। तदनुसार, न्यायाधिकरण के फैसले में हस्तक्षेप किया गया और परिणामस्वरूप, संबंधित कर्मचारियों को एसीपी योजना के तहत उन्नयन की बहाली के लिए निर्देश जारी किया गया।

ग

8. दीवानी अपील Nos.7150-7151/2009 में बुनियादी तथ्य समान हैं जहां संबंधित उत्तरदाताओं कांता सूरी और वीणा अरोड़ा को भी वायु सेना मुख्यालय में वरिष्ठ अनुवादक (हिंदी) के रूप में नियुक्त किया गया था।इन दोनों कर्मचारियों के लिए विशिष्टता का मुख्य बिंदु यह था कि कांता सूरी और वीणा अरोड़ा दोनों को नियमित पदोन्नति के बजाय, अनुवाद अधिकारी (हिंदी) के पद पर कार्यवाहक आधार पर इस शर्त के साथ पदोन्नति की पेशकश की गई थी कि पदोन्नति के लिए उत्तरदायी हैं यदि उनके वरिष्ठ जो अन्य कार्यालय/पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, वायु सेना में अपने वर्तमान संवर्ग में लौटते हैं या किसी भी प्रशासनिक कारण से।

डी.

ई.

9. इसके अतिरिक्त, यह उल्लेख किया जा सकता है कि कर्मचारियों के पक्ष में यह निर्णय कि पदोन्नति के लिए उनके इनकार से केवल उनके दूसरे उन्नयन पर प्रभाव पड़ेगा, सुमन लता भाटिया और मंजू अरोड़ा के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ के दिनांकित सामान्य निर्णय पर आधारित था, जो पहले विज्ञापित किया गया था।

च

10. केंद्र सरकार के नागरिक कर्मचारियों के लिए आश्वस्त कैरियर प्रगति की पेशकश करने वाले ओ. एम. का उद्देश्य पर्याप्त पदोन्नति के अवसरों की कमी के कारण कर्मचारियों द्वारा वास्तविक ठहराव और कठिनाई की समस्या से निपटने के लिए एक "सुरक्षा जाल" के रूप में था।ए. सी. पी. योजना सरकार द्वारा पाँचवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर उचित संशोधन के साथ शुरू की गई थी।इस योजना के तहत 12 साल की नियमित सेवा के बाद और 12 साल की नियमित सेवा के बाद पहले वित्तीय उन्नयन की तारीख से वित्तीय उन्नयन करने का निर्णय लिया गया, बशर्ते कि निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाए।इसकी शर्तें 5.1 और 10 प्रासंगिक होने के कारण, नीचे दी गई हैं:- ए.

जी.

एच.

597

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनाममंजू अरोड़ा और ए. एन. आर. [ऋषिकेश रॉय, जे।] ए.

“ 5.1 एक कर्मचारी के पूरे सरकारी सेवा जीवन में ए. सी. पी. योजना के तहत दो वित्तीय उन्नयन को उस ग्रेड से प्राप्त नियमित पदोन्नति (जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से प्राप्त इन-सीटू पदोन्नति और फास्ट ट्रैक पदोन्नति शामिल है) के खिलाफ गिना जाएगा जिसमें एक कर्मचारी को सीधे भर्ती के रूप में नियुक्त किया गया था।इसका मतलब यह होगा कि एसीपी योजना के तहत दो वित्तीय उन्नयन केवल तभी उपलब्ध होंगे जब किसी कर्मचारी द्वारा निर्धारित अवधि (12 और 24 वर्ष) के दौरान कोई नियमित पदोन्नति का लाभ नहीं उठाया गया हो।यदि किसी कर्मचारी को पहले ही एक नियमित पदोन्नति मिल चुकी है, तो वह एसीपी योजना के तहत 24 साल की नियमित सेवा पूरी करने पर ही दूसरे वित्तीय उन्नयन के लिए अर्हता प्राप्त करेगा।

यदि किसी कर्मचारी को नियमित आधार पर दो पूर्व पदोन्नति पहले ही मिल चुकी हैं, तो उसे एसीपी योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिलेगा।

ग

****

****

****

****

****

****

****

****

डी.

10. ए. सी. पी. योजना के तहत उच्च वेतनमान का अनुदान इस तथ्य के लिए सशर्त होगा कि एक कर्मचारी ने उक्त लाभ स्वीकार करते समय, बाद में रिक्ति होने पर नियमित पदोन्नति के लिए अपनी अयोग्य स्वीकृति दी होगी।यदि वह बाद में नियमित पदोन्नति पर उच्च पद स्वीकार करने से इनकार करता है, तो वह इस संबंध में सामान्य निर्देशों में निर्धारित नियमित पदोन्नति के लिए सामान्य प्रतिबंध के अधीन होगा।हालाँकि, जब वह इसके बाद नियमित पदोन्नति स्वीकार करता है, तो वह उस उच्च श्रेणी में ए. सी. पी. योजना के तहत आवश्यक पात्रता सेवा/अवधि को पूरा करने के बाद ही ए. सी. पी. योजना के तहत अलगाव-श्रेणीकरण के लिए पात्र हो जाएगा, बशर्ते कि उस अवधि के लिए जिसके लिए उसे नियमित पदोन्नति के लिए प्रतिबंधित किया गया था, इस उद्देश्य के लिए नहीं गिना जाएगा।उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को 12 साल की नियमित सेवा प्रदान करने के बाद एक वित्तीय उन्नयन प्राप्त हुआ है और 2 साल के बाद वह नियमित पदोन्नति से इनकार करता है और इसके परिणामस्वरूप एक साल के लिए प्रतिबंधित किया जाता है और बाद में उसे नियमित सेवा के 15 साल (12+12 + 1) पूरा करने के बाद नियमित आधार पर उच्च श्रेणी में पदोन्नत किया जाता है, तो वह उच्च श्रेणी में पहले वित्तीय उन्नयन (2+10) के बाद पहले से ही प्रदान की गई दो साल की सेवा के अलावा दस और साल प्रदान करने के बाद ही एसीपी योजना के तहत दूसरे उन्नयन के लिए विचार करने के लिए पात्र होगा।

ई.

च

जी.

एच.

(12+12+1) नियमित सेवा का कारण यह है कि उस उच्च श्रेणी में आवश्यक 12 वर्षों की नियमित सेवा के लिए एक वर्ष की प्रतिबंध अवधि को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।"

11. जैसा कि देखा जा सकता है, ए. सी. पी. योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का लाभ केवल तभी उपलब्ध होगा जब किसी कर्मचारी द्वारा निर्धारित अंतराल, 12 वर्ष और 24 वर्ष के दौरान नियमित पदोन्नति का लाभ नहीं उठाया जा सके।जबकि शर्त सं। 5. 1 इस आशय से स्पष्ट है कि खंड पीठ ने अनावश्यक रूप से उन कर्मचारियों के पक्ष में ठहरने के लिए शर्त संख्या 10 का उल्लेख किया है जिन्होंने उन्हें दी गई पदोन्नति को अस्वीकार कर दिया है।न्यायालय की राय थी कि संबंधित कर्मचारी एक वित्तीय उन्नयन के हकदार हैं, भले ही वे पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दें, क्योंकि इस तरह की पदोन्नति की अस्वीकृति केवल उनके दूसरे उन्नयन को प्रभावित करेगी।इस तरह के निष्कर्ष के साथ, उत्तरदाताओं को एसीपी योजना के तहत राहत का हकदार ठहराया गया था, हालांकि यह कर्मचारी को दी गई पदोन्नति से इनकार करने का मामला था।

ग

12. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने हमें 9.8.1999 पर अधिसूचित ए. सी. पी. योजना में प्रासंगिक शर्तों और विशेष रूप से खंड 5.1 और खंड 10 के बारे में बताया है।उन्होंने कर्मचारियों को दी जाने वाली पदोन्नति और अपने व्यक्तिगत कारणों से पदोन्नति स्वीकार करने से इनकार करने, जैसे कि परिवार की जरूरतों या किसी अन्य स्टेशन पर जाने आदि के बारे में भी अदालत के ध्यान में लाया है।

डी.

ई.

13. ए. सी. पी. योजना को पढ़ने से पता चलता है कि किसी कर्मचारी को वित्तीय उन्नयन तभी प्राप्त होगा जब उसे क्रमशः 12 और 24 वर्षों के निर्धारित अंतराल पर कोई नियमित पदोन्नति नहीं मिली हो।पूरे सेवा जीवन में, एक कर्मचारी वित्तीय उन्नयन का हकदार है यदि संबंधित कर्मचारी को किसी भी नियमित पदोन्नति के लाभ के बिना एक ही पद पर ठहराव का सामना करना पड़ता है और जैसा कि पहले कहा गया है, पर्याप्त पदोन्नति के अवसरों की कमी के कारण कर्मचारियों को वास्तविक ठहराव और कठिनाइयों की समस्याओं से निपटने के लिए ओ. एम. दिनांक 1 को "सुरक्षा जाल" के रूप में पेश किया गया था।लेकिन क्या किसी कर्मचारी द्वारा योजना के लाभ का दावा किया जा सकता है जब वह नियमित पदोन्नति के प्रस्ताव के बावजूद इसे स्वीकार करने से इनकार कर देती है और अपनी इच्छा से मौजूदा श्रेणी में बने रहने का विकल्प चुनती है?

च

जी.

14. जैसा कि अभिलेखों से देखा जा सकता है, मंजू अरोड़ा और सुमन लता भाटिया को कई मौकों पर उच्च श्रेणी में पदोन्नति की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया और मौजूदा वेतनमान में बने रहने का फैसला किया।ओ. एम. दिनांकित 9.8.1999 के उद्देश्य को बाद में ओ. एम. दिनांकित 18.7.2001 द्वारा स्पष्ट किया गया था जहाँ यह विशेष रूप से प्रदान किया गया था कि ए

एच.

599

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनाममंजू अरोड़ा और ए. एन. आर. [ऋषिकेश रॉय, जे।] ए.

जिस कर्मचारी को ए. सी. पी. लाभ देने से पहले नियमित रिक्ति आधारित पदोन्नति की पेशकश की गई थी और नियमित पदोन्नति से इनकार कर दिया गया था, वह ए. सी. पी. लाभ देने के लिए अयोग्य हो जाता है।दिनांक 18.7.2001 की स्पष्टीकरणात्मक अधिसूचना के बिना भी, ओ. एम. दिनांकित 9.8.1999 के खंड 5 का एक सादा पाठ यह स्पष्ट करता है कि एक कर्मचारी जिसने पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार करके मौजूदा ग्रेड में बने रहने का विकल्प चुना है, ए. सी. पी. लाभों के अधिकारों को खो देता है और इनकार करने के कारण ऐसे कर्मचारी को आवश्यक प्रतिबंध अवधि समाप्त होने के बाद ही नियमित पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है।

15. तथापि, शर्त 5.1 में स्पष्ट शब्दों के बावजूद, विवादित निर्णय में दिनांकित ओ. एम. का तात्पर्य छूट गया और विद्वत न्यायालय ने अनावश्यक रूप से ओ. एम. की शर्त 10 में उन कर्मचारियों के पक्ष में रहने के लिए शब्दों को जोड़ दिया जिन्होंने अपने व्यक्तिगत कारणों से पदोन्नति से इनकार कर दिया है।

ग

16. हमें पूरा यकीन है कि यदि नियमित पदोन्नति की पेशकश की जाती है, लेकिन वित्तीय उन्नयन का हकदार बनने से पहले कर्मचारी द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो वह केवल इसलिए वित्तीय उन्नयन का हकदार नहीं होगा क्योंकि उसे ठहराव का सामना करना पड़ा है।ऐसा इसलिए है क्योंकि, यह प्रचार के अवसरों की कमी का मामला नहीं है, बल्कि एक कर्मचारी है जो अपने व्यक्तिगत कारणों से प्रस्तावित पदोन्नति को छोड़ने का विकल्प चुनती है।हालाँकि, उच्च न्यायालय द्वारा कर्मचारियों को राहत देते समय इस महत्वपूर्ण पहलू की उचित रूप से सराहना नहीं की गई।

डी.

ई.

17. यह भी देखा जा सकता है कि जब कोई कर्मचारी प्रस्तावित पदोन्नति से इनकार करता है, तो उच्च पद को संभालने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं जो प्रशासनिक कठिनाइयों को जन्म देती हैं क्योंकि संबंधित कर्मचारी अक्सर अपने पद पर बने रहने के लिए पदोन्नति से इनकार कर देता है।

च

18. उपरोक्त परिस्थितियों में, हम अपीलार्थियों की ओर से की गई प्रस्तुतियों में योग्यता पाते हैं।नतीजतन, यह घोषित किया जाता है कि जिन कर्मचारियों ने नियमित पदोन्नति के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है, वे ओ. एम. दिनांक 9.8.1999 के तहत परिकल्पित वित्तीय उन्नयन लाभों के हकदार नहीं हैं।इस स्थिति में, "अनुमोदन और खंडन" का स्कॉटिश सिद्धांत दिमाग में आता है।इस सिद्धांत के अंग्रेजी समकक्ष की व्याख्या लिसेन्डेन बनाम सीएवी बॉश लिमिटेड 1 में की गई थी, जिसमें लॉर्ड एटकिन ने पृष्ठ 429 पर कहा था,

जी.

1 [1940] ए. सी. 412

एच.

“.....ऐसे मामलों में जहां सिद्धांत लागू होता है, संबंधित व्यक्ति के पास दो अधिकारों का विकल्प होता है, जिनमें से किसी एक को अपनाने के लिए वह स्वतंत्र है, लेकिन दोनों नहीं।जहाँ सिद्धांत लागू होता है, यदि वह व्यक्ति जिसकी पसंद अपरिवर्तनीय रूप से संबंधित है और ज्ञान के साथ एक को अपनाता है तो वह बाद में दूसरे पर जोर नहीं दे सकता है।” उपरोक्त सिद्धांत इस मामले की परिस्थितियों की ओर आकर्षित होता है।इसलिए संबंधित कर्मचारियों को एक साथ अनुमोदन और खंडन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, या बोलचाल की भाषा में कहा जा सकता है, "उनका केक खाओ और उसे भी खाओ।"यह सी. ए. Nos.7027-28/2009 में उत्तरदाताओं के लिए तदनुसार घोषित किया गया है।

19. हालाँकि, उपरोक्त सी. ए. Nos.7150-7151/2009 में दो प्रतिवादी कर्मचारियों कांता सूरी और वीणा अरोड़ा पर लागू नहीं होंगे क्योंकि उन्हें दिनांकित 29.12.1988 के आदेश द्वारा नियमित पदोन्नति नहीं दी गई थी, बल्कि कार्यवाहक आधार पर सशर्त पदोन्नति की पेशकश की गई थी।यह नहीं कहा जा सकता है कि इन दोनों कर्मचारियों ने विकल्पों के बीच एक विकल्प का प्रयोग किया था और इस तरह उपरोक्त सिद्धांत लागू नहीं होगा और कार्यवाहक पदोन्नति को स्वीकार करने से उनके इनकार

को उनके खिलाफ नहीं ठहराया जा सकता है।दिनांकित आई. डी. 1 द्वारा दी गई पदोन्नति से इनकार करने से दो कर्मचारियों, कांता सूरी और वीणा अरोड़ा को ए. सी. पी. योजना के तहत लाभ नहीं मिलेगा।इसे तदनुसार घोषित किया जाता है।

ग

डी.

20. चूंकि उत्तरदाता इस बीच सेवानिवृत्ति की आयु को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए इस आदेश के तहत परिणामी राहत आज से तीन महीने के भीतर दो योग्य कर्मचारियों (यदि नहीं दी गई है) को उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

ई.

21. पूर्वगामी के लिए, अपीलों के पहले समूह यानी 2009 की सिविल अपील Nos.7027-7028 की अनुमति है।हालाँकि, अपीलों का दूसरा सेट यानी 2009 की सिविल अपील Nos.7150-7151 खारिज कर दी गई है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

च

दिव्या पांडे

अपीलों का निपटारा किया गया।

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

जी.

एच.